क्रम-संख्या—164

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्सड् पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 11 मार्च, 1986

फाल्गुन 20, 1907 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 564/सत्रह—वि—1—1(क)—8-1986

लखनऊ: 11 मार्च, 1986

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1986 पर दिनांक 10 मार्च, 1986 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1986 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1986

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1986)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1986 कहा जायगा।

(2) यह 13 जनवरी, 1986 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1961 की धारा 13, 20 और 21 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 13, 20 और 21 में, जहां-जहां भी शब्द "जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज)" या शब्द "जिला न्यायाधीश" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "आयुक्त" रख दिया जायगा ।

धारा 38 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 38 में, उपधारा (2) में,--

(क) शब्द "जिला न्यायाधीश" के स्थान पर शब्द "आयुक्त" रख दिया जायगा;

(ख) शब्द "अपर जिला न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीश या अपर व्यवहार न्यायाधीश" के स्थान पर शब्द "अपर आयुक्त" रख दिये जायेंग ।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

4--मूल अधिनियम की धारा 13, 20 और 21 के अधीन समस्त कार्यवाहियां और अपील जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी जिला न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीश या अपर व्यवहार न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन हों, आयुक्त को अन्तरित हो जायेंगी और उनका निस्तारण आयुक्त द्वारा इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा ।

निरसन और अपवाद

5--(1) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1986 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था ।

आज्ञा से,
श्रीनाथ सहाय,
सचिव ।

No. 564 (2) /XVII-V-1--1 (KA) -8-1986

Dated Lucknow, March 11, 1986

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Adhiktam Jot Seema Aropan (Sanshodhan) Adhiniyam, 1986 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 3 of 1986), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 10, 1986.

THE UTTAR PRADESH IMPOSITION OF CEILING ON LAND HOLDINGS (AMENDMENT) ACT, 1986

(U. P. Act no. 3 of 1986)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960

It is hereby enacted in the Thirty-seventh Year of the Republic of India as follows :

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act, 1986.

(2) It shall be deemed to have come into force on January 13, 1986.

Amendment of sections 13, 20 and 21 of U.P. Act no. 1 of 1961

2. In sections 13, 20 and 21 of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960, hereinafter referred to as the principal Act, *for* the word 'District Judge', wherever occurring, the word 'Commissioner' shall be *substituted*.

Amendment of section 38

3. In section 38 of the principal Act, in sub-section (2),—

(*a*) *for* the word 'District Judge' the word 'Commissioner' shall be *substituted* ;

(*b*) *for* the words 'Additional District Judge, Civil Judge or Additional Civil Judge', the word 'Additional Commissioner' shall be *substituted*.

Transitory provision

4. All proceedings and appeals under sections 13, 20 and 21 of the principal Act, pending immediately before the commencement of this Act before any District Judge, Additional District Judge, Civil Judge or Additional Civil Judge shall stand transferred to the Commissioner and shall be disposed of by the Commissioner in accordance with the provisions of the principal Act, as amended by this Act.

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 8 of 1986

5. (1) The Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings (Amendment) Ordinance, 1986, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance, referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if this Act were in force at all material times.

By order,
S. N. SAHAY,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 289 सा० (विधा०)—(3897)—1986—850 (मेक)।